"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 मई 2018 — ज्येष्ठ 1, शक 1940

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–13/2017/32. — भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 20 में, उप–नियम (2) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि यदि कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष या सदस्य, राज्य शासन या केन्द्र शासन की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो और सेवानिवृत्ति के समय उसका वेतनमान, नियम 20 के उप–नियम (1) एवं (2) में उल्लिखित वेतनमान से उच्च रहा हो, तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतनमान के वेतन में से, सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, उस पेंशन की राशि, जिसमें पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन भी शामिल है, को कम कर दिया जायेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2018

क्रमांक एफ 7–13/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22–05–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd May 2018

NOTIFICATION

No. F 7-13/2017/32. — In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development), Rules, 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 20, in sub-rule (2), after the proviso, the following shall be inserted, namely :-

"Provided further that, if the full time Chairperson or Member is a retired from the services of the State Government or Central Government and his pay scale at the time of retirement is being higher than the pay scale mentioned in sub-rule (1) and (2) of rule 20, then the amount of pension, including such part of the pension which has been commuted and pension equivalent to other types of retirement benefits excluding the pension equivalent to gratuity, shall be reduced from the salary in the pay scale received at the time of retirement of such Chairperson or Member."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.